



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-01.09.2022

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा साहूकारी अधिनियम मे वांछित अभियुक्त
अजय तिवारी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर दबिश देकर मु0अ0सं0 316/2022 धारा 386/323/504/506 भा0द0वि0 एवं 10(1)/12(1) उ0प्र0 शाहूकारी अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय तिवारी पुत्र लक्ष्मण तिवारी नि गोविन्द नगर कालोनी 0 नरोत्तमपुर थाना लंका वाराणसी को अभियुक्त के घर से आज दिनांक:-01.09.2022 को समय:-10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-16.08.2022 को वादी मुकदमा श्री रोहित शर्मा पुत्र अम्बिका प्रसाद शर्मा निवासी बंशीधर अपार्टमेंट थाना-सिगरा जनपद-वाराणसी (डाईरेक्टर आर0 के. सोलर) ने लिखित तहरीर दिया कि वर्ष 2018 में अभियुक्त अजय तिवारी पुत्र स्व0 लक्ष्मण तिवारी निवासी गोविन्द नगर कालोनी नरोत्तम पुर थाना लंका जनपद वाराणसी से 5,00,000/- (पांच लाख रु0) उधार लिया था जिसे प्रार्थी ने ब्याज सहित 6% की दर वापस कर दिया पुनः प्रार्थी ने 3,00,000/- (तीन लाख रु0) उधार लिया जिसे प्रार्थी ने 6% ब्याज की दर से वापस कर दिया प्रार्थी से अजय तिवारी ने 8,00,000/- (आठ लाख रु0) के एवज में आज तक 28,00,000/- (अट्ठाईस लाख रु0) ब्याज सहित लिया हैं जिसे प्रार्थी ने अपने एकाउन्ट से अजय तिवारी के एकाउन्ट में दिया है। 28,00,000/- रु0 लेने के बावजूद अजय तिवारी लगातार प्रार्थी को और पैसा देने के लिये धमकी दे रहा है और जब प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में अजय तिवारी से बात की तब अजय तिवारी ने प्रार्थी से कहाँ कि अभी तुम्हारा उधार बकाया है यह तो केवल तुमने ब्याज दिया हैं और अगर तुम्हे वाराणसी में रहना व व्यापार करना है तो तुम्हे 50,000/- रु0 रंगदारी देना होगा। दिनांक 25-07-22 को जब प्रार्थी अपने आंफिस प्रभा काम्पलेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर था तब अचानक अजय तिवारी प्रार्थी के साथ मार पीट करने लगा व भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुये प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुये कहने लगा कि मेरा काम तुम्हारे जैसे लोगों को पहले उधार देकर ज्यादा व्यादा ब्याज वसूलना हैं और मेरे सम्बन्ध शहर के कई बड़े माफियाओं से हैं चुप चाप हर महीने रंगदारी के 50,000/-रु0 मेरे पास पहुँचा दिया करो नहीं तो तुम्हे जान से मरवा दूँगा। जिसके आधारपर थाना सिगरा मे मु0अ0सं0 316/2022 धारा 386/323/504/506 भा0द0वि0 एवं 10(1)/12(1) उ0प्र0 शाहूकारी अधि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय तिवारी पुत्र लक्ष्मण तिवारी नि० गोविन्द नगर कालोनी नरोत्तमपुर थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 36 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
2. म०उ०नि० मीनु सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
3. का० रामनगीना मौर्या थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

